

(277)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प. 5 (8) नविवि/99

जयपुर दिनांक : 30.8.2001

आदेश

राजस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम 1999 के लागू होने के पश्चात कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ नियमितिकरण के अधिकार सम्बन्धित स्थानीय निकायों एवं नगर विकास न्यासों को प्रदत्त किये गये थे। कृषि भूमि के नियमन हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमन शुल्क/हस्तान्तरण शुल्क, आदि की राशि सम्बन्धित सन्स्था निजी निक्षेप खाते (Public Deposit Account) में जमा की जाती है। उक्त राजकीय राशि का उपयोग राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे।

राज्य सरकार के स्तर पर इस राशि के उपयोग के संबंध में निम्न विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि जमा की गई राशि व भविष्य में जमा होने वाली सम्पूर्ण राशि में से 60 प्रतिशत राशि का उपयोग सम्बन्धित सन्स्था द्वारा विकास कार्यों पर किया जावेगा, शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार के कोष में निम्न बजट मद में जमा कराया जावेगा :-

0029	-	भू-राजस्व
800	-	अन्य प्राप्तियां
(007)	-	कृषि भूमि को आबादी भूमि में बदलने की फीस

भारत सरकार आदेश: वित्त विभाग की सहमति क्रमांक 1663/निस/वित्त मंत्री/01 दिनांक 24.07.01 से किया जाता है।

आज्ञा से,
उपशासन सचिव

(78)

(300)